भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *173

दिनांक 06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पराली जलाए जाने का स्वास्थ्य पर प्रभाव

***173. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पराली जलाए जाने और वायु प्रदूषण में इसके योगदान के कारण पंजाब पर अनुमानत: कितना स्वास्थ्य बोझ है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान पंजाब में सर्वाधिक पराली जलाए जाने के मौसम के दौरान वर्ष-वार कितने प्रदूषण संबंधी रोगों की जानकारी मिली है;

(ग) क्या सरकार की पराली जलाए जाने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की समस्या के समाधान के लिए कृषि और पर्यावरण से जुड़ी एजेंसियों के साथ काम करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 06.12.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 173 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): वायु प्रदूषण के अनेक कारण हैं, जिनमें अत्यधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में विभिन्न सेक्टरों के मानव जनित कार्यकलाप शामिल हैं। मानसून के बाद और सर्दियों के महीनों के दौरान, कम तापमान, कम ऊँचाई पर धूलकण मिश्रण की उपस्थिति, विपरीत परिस्थितियों और स्थिर हवाओं के कारण प्रदूषण कण ट्रैप हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में प्रदूषण अधिक हो जाता है। पराली जलाने आदि जैसी एपिसोडिक घटनाओं से होने वाले उत्सर्जन के कारण यह और अधिक बढ़ जाता है।

वायु प्रदूषण श्वसन रोगों और उससे संबंधित रोगों को बढ़ाने वाले कारकों में से एक है। तथापि, देश में केवल वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों/रोगों के बीच प्रत्यक्ष सहसंबंध स्थापित करने संबंधी कोई निर्णायक आंकडे़ उपलब्ध नहीं हैं। वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर प्रभाव अन्य कई कारकों के इसमें जुड़ने के कारण भी होते हैं, जिनमें खान-पान की आदतें, कार्य-संबंधी आदतें, सामाजिक आर्थिक स्थिति, मेडिकल हिस्ट्री, प्रतिरक्षा और आनुवांशिकता आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ): सम्मिलित और सहक्रियात्मक तरीके से धान की पराली के प्रबंधन के लिए, समयबद्ध आधार पर विभिन्न स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन की नियमित निगरानी के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं

- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एनसीआर राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और विभिन्न अन्य हितधारकों जैसे इसरो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, विभिन्न बैठकों में हुए विचार-विमर्श और चर्चाओं के आधार पर, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग(सीएक्यूएम) ने संबंधित राज्यों को फसल अवशिष्ट जलाने की घटनाओं के नियंत्रण/उन्मूलन के लिए एक रूपरेखा प्रदान की गई है। उन्हें इस रूपरेखा की मुख्य बातों के आधार पर विस्तृत राज्य-विशिष्ट कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

- सीएक्यूएम द्वारा सुझाई गई रूपरेखा के अनुसार, सभी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2024 के लिए कार्य योजनाओं की समीक्षा की गई,उन्हें अद्यतन किया गया और अंतिम रूप दिया गया था। तदनुसार, वर्ष 2024 के दौरान धान की पराली जलाए जाने की घटनाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संशोधित कार्य-योजना और इस रूपरेखा के कड़ाई से कार्यान्वयन के लिए सीएक्यूएम द्वारा दिनांक 12.04.2024 को संबंधित राज्यों को सांविधिक निदेश जारी किए गए थे। इसके अलावा,

प्रभावी प्रर्वतन कार्यतंत्र के कार्यान्वयन के लिए, दिनांक 10.10.2024 के निदेशों द्वारा, धारा 14(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीएक्यूएम ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपायुक्तों/जिला क्लेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों को प्राधिकृत किया है कि वे अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में धान की पराली जलाने की घटनाओं का उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी और ऐसे मामलों में कार्रवाई न करने वाले कर्मचारियों, जिनमें विभिन्न स्तरों पर नोडल अधिकारी और स्टेशन हाउस अधिकारी शामिल हैं, के विरुद्ध उस क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत/मुकदमा दर्ज कर सकते हैं।

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2018 में धान की पराली के स्व-स्थाने प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में फसल अवशिष्ट प्रबंधन मशीनरी की खरीद और कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करने संबंधी योजना शुरू की है।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने धान की पराली के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पैलेटाइजेशन और टोरेफैक्शन संयंत्र स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण प्रभार निधियों के अंतर्गत एकबारगी वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी दिशा-निर्देश तैयार किए हैं।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने धान की पराली के बाह्य स्थाने प्रबंधन के लिए बायोमास एकत्रीकरण उपकरण की खरीद के लिए कम्प्रैसड बायोगैस उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी योजना शुरू की है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2019 से देश में जलवायु संवेदी स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने, क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारी और अनुक्रिया तथा साझेदारी संबंधी कार्यकलाप करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनपीसीसीएचएच) लागू किया है।

*****